राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

जयपुर, दिनांक 20/02/2020

अधिसूचना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 68) की धारा 10 (1क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा चयन समिति की अभिशंषा के आधार **पर श्री राजकुमार पुत्र श्री रामावतार** को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, **जालोर** का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त करती है :–

उपरोक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :–

1. जिला मंच के पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में यह नियुक्ति कार्यभार संभालने की तिथि से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने अथवा अन्य आदेश तक जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिये होगी।
2. चूंकि श्री राजकुमार एडवोकेट पूर्व में किसी राजकीय सेवा में सेवारत नही रहे है इसलिए वित्त (नियम) विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति आई डी संख्या 221100636 दिनांक 28.04.2011 के आधार पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के दौरान जिला न्यायाधीश को देय एन्ट्रीलेवल (Entry Level) वेतनमान (51550–1230–58930–1380–63070) न्यूनतम मूल्य वेतन तथा उक्त वेतन पर जिला न्यायाधीश (Entry Level) को देय अन्य भत्ते देय होंगे।
3. जिला मंच के पूर्णकालिक अध्यक्ष को नियुक्ति अवधि के दौरान कोई वेतन वृद्धि देय नही होंगी।
4. पूर्णकालिक अध्यक्ष के पद पर नियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति राज्य सरकार के प्रत्येक कार्य दिवस में जिला मंच कार्यालय में अनिवार्य होगी। राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत अधिकारियों को अध्यक्ष जिला मंच के रूप में कार्य करने के दौरान राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत सेवानिवृत कार्मिकों को पुनः नियुक्ति पर देय अवकाश की भाँति, अवकाश देय होंगे। स्वीकृत अवकाश के अतिरिक्त किसी कार्य दिवस को अनुपस्थित रहने की स्थिति में ऐसे अनुपस्थित दिवस हेतु वेतन देय नहीं होगा।
5. जिला मंच के अध्यक्ष को आर.एच.जे.एस. में अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने के बाद मंच की बैठकों में आने व जाने का यात्रा या अन्य किसी व्यय का पुनर्भरण नहीं किया जावेगा तथापि विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 89(29)खा.वि./उ.सं./2004 दिनांक 16.09.2014 के अनुसरण में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान के अधीन जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के अध्यक्ष पद पर नियुक्त सेवानिवृत्त आर.एच.जे.एस. अधिकारी को पूल वाहन/किराये के वाहन की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होने की शर्त पर 2500/– रूपये (अक्षरे राशि रूपये दो हजार पांच सौ मात्र) प्रतिमाह वाहन भत्ता देय होगा।
6. जिला मंच के अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अध्यधीन सरकारी यात्रा पर ऐसे यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे जो राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारी को देय हैं।
7. वर्तमान में नियुक्त अध्यक्ष को वर्तमान पदस्थापन के अलावा अन्य जिला मंच में चयन समिति की अभिशंषा पर प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरित किया जा सकेगा या अपने कार्य के अतिरिक्त अन्य जिला मंच के कार्य को भी संपादित करने के लिए राज्य आयोग के परामर्श से अधिकृत किया जा सकेगा।
8. जिला मंच के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति को; अगर वह अभिभाषक है, कार्यभार संभालने की तिथि से पूर्व एवं नियुक्ति अवधि के दौरान तक की अवधि के लिये अपनी सनद (रजि. प्रमाण–पत्र) को अनिवार्य रूप से स्थगित/निलंबित कराना होगा और इस अवधि के दौरान वे अभिभाषक की हैसियत से कार्य (प्रैक्टिस) करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
9. जिला मंच के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति अवधि के दौरान कोई लाभ का पद अथवा अन्य नियुक्ति ग्रहण नहीं करेंगे। यदि पूर्व से ही किसी लाभ के पद अथवा सेवा में नियोजित हो; तो वे इस प्रकार के पद अथवा नियुक्ति पर जारी (Continue) नहीं रहेंगे।
10. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले निबंधन एवं शर्तों का जिला मंच में नियुक्त अध्यक्ष पालन करेंगे।

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

11. जिला मंच के अध्यक्ष को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये उपभोक्ता संरक्षण (राजस्थान) नियम, 1987 के प्रावधान के अनुसार पद से हटाया जा सकता है।
12. जिला मंच के अध्यक्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम/नियम के अन्तर्गत एवं अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर, उपभोक्ता संरक्षण तथा राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे।
13. जिला मंच के अध्यक्ष की सेवा की अन्य निबन्धन एवं शर्तें समय–समय पर संशोधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं उपभोक्ता संरक्षण (राजस्थान) नियम, 1987 के प्रावधान अनुसार विनियमित होगी।
14. जिला मंच के अध्यक्ष के रूप में कार्यग्रहण करने से पूर्व नियुक्त व्यक्ति द्वारा उपभोक्ता संरक्षण (राजस्थान) नियम 1987 के नियम 3 (4) बाबत दो प्रतियों में वचन–पत्र पेश करना होगा, जिसकी एक प्रति रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर, के माध्यम से राज्य सरकार को भेजी जायेगी।
15. उक्त नियुक्ति आदेश के कम में नियुक्त किए गए अध्यक्ष को जिला स्तरीय राजकीय चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड से स्वयं का फिटनेस प्रमाण–पत्र प्राप्त कर कार्यग्रहण से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
16. उक्त नियुक्ति आदेश के क्रम में नियुक्त किये गये अध्यक्ष को अधिसूचना जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में जिला मंच अध्यक्ष के रूप में अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर इस कार्यालय को और रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर, को तत्काल अवगत कराना होगा।

(क्रमांकः– एफ 89(6)उ.मा.वि./उ.सं./2006–v)
राज्यपाल की आज्ञा से,
सिद्धार्थ 20/2/2020
(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव (उपभोक्ता मामले)

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांक:– एफ 89(6)उ.मा.वि./उ.सं./2006–v जयपुर दिनांक 20/02/2020.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
7. महालेखापरीक्षक (महालेखाकार), राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
9. निजी सचिव, निदेशक, उपभोक्ता मामले, राजस्थान, जयपुर।
10. रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर।
11. **श्री राजकुमार पुत्र श्री रामावतार, 129-A/42-A, AMER NAGAR, KHERNI PHATAK, KHATIPURA, JAIPUR, RAJASTHAN.**
12. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जालोर।
13. जिला कलेक्टर/जिला रसद अधिकारी, जालोर।
14. वित्तीय सलाहकार, खाद्य विभाग, जयपुर।
15. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, उपभोक्ता मामले, जयपुर।
16. सहायक निदेशक (जनसंपर्क), खाद्य विभाग (मुख्यालय), राजस्थान, जयपुर।
17. रक्षा पत्रिका।

निदेशक (उपभोक्ता मामले)

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

जयपुर, दिनांक 20.02.2020

अधिसूचना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 68) की धारा 10 (1क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा चयन समिति की अभिशंषा के आधार पर **श्री देवकरण गूजर पुत्र श्री गणेश लाल गूजर** को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, **करौली** का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त करती है :–

उपरोक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :–

1. जिला मंच के पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में यह नियुक्ति कार्यभार संभालने की तिथि से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने अथवा अन्य आदेश तक जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिये होगी।
2. चूंकि श्री देवकरण गूजर एडवोकेट पूर्व में किसी राजकीय सेवा में सेवारत नही रहे है इसलिए वित्त (नियम) विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति आई डी संख्या 221100636 दिनांक 28.04.2011 के आधार पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के दौरान जिला न्यायाधीश को देय एन्ट्रीलेवल (Entry Level) वेतनमान (51550–1230–58930–1380–63070) न्यूनतम मूल्य वेतन तथा उक्त वेतन पर जिला न्यायाधीश (Entry Level) को देय अन्य भत्ते देय होंगे।
3. जिला मंच के पूर्णकालिक अध्यक्ष को नियुक्ति अवधि के दौरान कोई वेतन वृद्धि देय नही होंगी।
4. पूर्णकालिक अध्यक्ष के पद पर नियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति राज्य सरकार के प्रत्येक कार्य दिवस में जिला मंच कार्यालय में अनिवार्य होगी। राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत अधिकारियों को अध्यक्ष जिला मंच के रूप में कार्य करने के दौरान राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत सेवानिवृत कार्मिकों को पुनः नियुक्ति पर देय अवकाश की भाँति, अवकाश देय होंगे। स्वीकृत अवकाश के अतिरिक्त किसी कार्य दिवस को अनुपस्थित रहने की स्थिति में ऐसे अनुपस्थित दिवस हेतु वेतन देय नहीं होगा।
5. जिला मंच के अध्यक्ष को आर.एच.जे.एस. में अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने के बाद मंच की बैठकों में आने व जाने का यात्रा या अन्य किसी व्यय का पुनर्भरण नहीं किया जावेगा तथापि विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 89(29)खा.वि./उ.सं./2004 दिनांक 16.09.2014 के अनुसरण में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान के अधीन जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के अध्यक्ष पद पर नियुक्त सेवानिवृत्त आर.एच.जे.एस. अधिकारी को पूल वाहन/किराये के वाहन की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होने की शर्त पर 2500/– रूपये (अक्षरे राशि रूपये दो हजार पांच सौ मात्र) प्रतिमाह वाहन भत्ता देय होगा।
6. जिला मंच के अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अध्यधीन सरकारी यात्रा पर ऐसे यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे जो राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारी को देय हैं।
7. वर्तमान में नियुक्त अध्यक्ष को वर्तमान पदस्थापन के अलावा अन्य जिला मंच में चयन समिति की अभिशंषा पर प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरित किया जा सकेगा या अपने कार्य के अतिरिक्त अन्य जिला मंच के कार्य को भी संपादित करने के लिए राज्य आयोग के परामर्श से अधिकृत किया जा सकेगा।
8. जिला मंच के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति को; अगर वह अभिभाषक है, कार्यभार संभालने की तिथि से पूर्व एवं नियुक्ति अवधि के दौरान तक की अवधि के लिये अपनी सनद (रजि. प्रमाण–पत्र) को अनिवार्य रूप से स्थगित/निलंबित कराना होगा और इस अवधि के दौरान वे अभिभाषक की हैसियत से कार्य (प्रैक्टिस) करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
9. जिला मंच के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति अवधि के दौरान कोई लाभ का पद अथवा अन्य नियुक्ति ग्रहण नहीं करेंगे। यदि पूर्व से ही किसी लाभ के पद अथवा सेवा में नियोजित हो; तो वे इस प्रकार के पद अथवा नियुक्ति पर जारी (Continue) नहीं रहेंगे।
10. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले निबंधन एवं शर्तों का जिला मंच में नियुक्त अध्यक्ष पालन करेंगे।

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

11. जिला मंच के अध्यक्ष को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये उपभोक्ता संरक्षण (राजस्थान) नियम, 1987 के प्रावधान के अनुसार पद से हटाया जा सकता है।
12. जिला मंच के अध्यक्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम/नियम के अन्तर्गत एवं अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर, उपभोक्ता संरक्षण तथा राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे।
13. जिला मंच के अध्यक्ष की सेवा की अन्य निबन्धन एवं शर्तें समय–समय पर संशोधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं उपभोक्ता संरक्षण (राजस्थान) नियम, 1987 के प्रावधान अनुसार विनियमित होगी।
14. जिला मंच के अध्यक्ष के रूप में कार्यग्रहण करने से पूर्व नियुक्त व्यक्ति द्वारा उपभोक्ता संरक्षण (राजस्थान) नियम 1987 के नियम 3 (4) बाबत दो प्रतियों में वचन–पत्र पेश करना होगा, जिसकी एक प्रति रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर, के माध्यम से राज्य सरकार को भेजी जायेगी।
15. उक्त नियुक्ति आदेश के क्रम में नियुक्त किए गए अध्यक्ष को जिला स्तरीय राजकीय चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड से स्वयं का फिटनेस प्रमाण–पत्र प्राप्त कर कार्यग्रहण से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
16. उक्त नियुक्ति आदेश के क्रम में नियुक्त किये गये अध्यक्ष को अधिसूचना जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में जिला मंच अध्यक्ष के रूप में अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर इस कार्यालय को और रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर, को तत्काल अवगत कराना होगा।

(क्रमांकः– एफ 89(6)उ.मा.वि./उ.सं./2006–v)
राज्यपाल की आज्ञा से,
सिद्धार्थ 20/2/2020
(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव (उपभोक्ता मामले)

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांकः– एफ 89(6)उ.मा.वि./उ.सं./2006–v जयपुर दिनांक 20/02/2020.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
7. महालेखापरीक्षक (महालेखाकार), राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
9. निजी सचिव, निदेशक, उपभोक्ता मामले, राजस्थान, जयपुर।
10. रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर।
11. **श्री देवकरण गूजर पुत्र श्री गणेश लाल गूजर, VIKAS VIHAR COLONY, BEHIND ROADWAYS DEPO, TONK, RAJASTHAN.**
12. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, करौली ।
13. जिला कलेक्टर/जिला रसद अधिकारी, करौली .।
14. वित्तीय सलाहकार, खाद्य विभाग, जयपुर।
15. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, उपभोक्ता मामले, जयपुर।
16. सहायक निदेशक (जनसंपर्क), खाद्य विभाग (मुख्यालय), राजस्थान, जयपुर।
17. रक्षा पत्रिका।

निदेशक (उपभोक्ता मामले)

D:\2019\State Commission Notifiction\Notifiction (Advocaet) 2019\15

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

जयपुर, दिनांक 20/02/2020

अधिसूचना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 68) की धारा 10 (1क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा चयन समिति की अभिशंषा के आधार पर **श्री यतीन्द्र प्रकाश शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा** को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, **पाली** का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त करती है :–

उपरोक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :–

1. जिला मंच के पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में यह नियुक्ति कार्यभार संभालने की तिथि से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने अथवा अन्य आदेश तक जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिये होगी।
2. चूंकि **श्री यतीन्द्र प्रकाश शर्मा** एडवोकेट पूर्व में किसी राजकीय सेवा में सेवारत नही रहे है इसलिए वित्त (नियम) विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति आई डी संख्या 221100636 दिनांक 28.04.2011 के आधार पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के दौरान जिला न्यायाधीश को देय एन्ट्रीलेवल (Entry Level) वेतनमान (51550–1230–58930–1380–63070) न्यूनतम मूल्य वेतन तथा उक्त वेतन पर जिला न्यायाधीश (Entry Level) को देय अन्य भत्ते देय होंगे।
3. जिला मंच के पूर्णकालिक अध्यक्ष को नियुक्ति अवधि के दौरान कोई वेतन वृद्धि देय नही होंगी।
4. पूर्णकालिक अध्यक्ष के पद पर नियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति राज्य सरकार के प्रत्येक कार्य दिवस में जिला मंच कार्यालय में अनिवार्य होगी। राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत अधिकारियों को अध्यक्ष जिला मंच के रूप में कार्य करने के दौरान राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत सेवानिवृत कार्मिकों को पुनः नियुक्ति पर देय अवकाश की भाँति, अवकाश देय होंगे। स्वीकृत अवकाश के अतिरिक्त किसी कार्य दिवस को अनुपस्थित रहने की स्थिति में ऐसे अनुपस्थित दिवस हेतु वेतन देय नहीं होगा।
5. जिला मंच के अध्यक्ष को आर.एच.जे.एस. में अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने के बाद मंच की बैठकों में आने व जाने का यात्रा या अन्य किसी व्यय का पुनर्भरण नहीं किया जावेगा तथापि विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 89(29)खा.वि./उ.सं./2004 दिनांक 16.09.2014 के अनुसरण में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान के अधीन जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के अध्यक्ष पद पर नियुक्त सेवानिवृत्त आर.एच.जे.एस. अधिकारी को पूल वाहन/किराये के वाहन की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होने की शर्त पर 2500/– रूपये (अक्षरे राशि रूपये दो हजार पांच सौ मात्र) प्रतिमाह वाहन भत्ता देय होगा।
6. जिला मंच के अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अध्यधीन सरकारी यात्रा पर ऐसे यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे जो राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारी को देय हैं।
7. वर्तमान में नियुक्त अध्यक्ष को वर्तमान पदस्थापन के अलावा अन्य जिला मंच में चयन समिति की अभिशंषा पर प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरित किया जा सकेगा या अपने कार्य के अतिरिक्त अन्य जिला मंच के कार्य को भी संपादित करने के लिए राज्य आयोग के परामर्श से अधिकृत किया जा सकेगा।
8. जिला मंच के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति को; अगर वह अभिभाषक है, कार्यभार संभालने की तिथि से पूर्व एवं नियुक्ति अवधि के दौरान तक की अवधि के लिये अपनी सनद (रजि. प्रमाण–पत्र) को अनिवार्य रूप से स्थगित/निलंबित कराना होगा और इस अवधि के दौरान वे अभिभाषक की हैसियत से कार्य (प्रैक्टिस) करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
9. जिला मंच के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति अवधि के दौरान कोई लाभ का पद अथवा अन्य नियुक्ति ग्रहण नहीं करेंगे। यदि पूर्व से ही किसी लाभ के पद अथवा सेवा में नियोजित हो; तो वे इस प्रकार के पद अथवा नियुक्ति पर जारी (Continue) नहीं रहेंगे।
10. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले निबंधन एवं शर्तों का जिला मंच में नियुक्त अध्यक्ष पालन करेंगे।

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

11. जिला मंच के अध्यक्ष को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये उपभोक्ता संरक्षण (राजस्थान) नियम, 1987 के प्रावधान के अनुसार पद से हटाया जा सकता है।
12. जिला मंच के अध्यक्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम/नियम के अन्तर्गत एवं अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर, उपभोक्ता संरक्षण तथा राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे।
13. जिला मंच के अध्यक्ष की सेवा की अन्य निबन्धन एवं शर्तें समय–समय पर संशोधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं उपभोक्ता संरक्षण (राजस्थान) नियम, 1987 के प्रावधान अनुसार विनियमित होगी।
14. जिला मंच के अध्यक्ष के रूप में कार्यग्रहण करने से पूर्व नियुक्त व्यक्ति द्वारा उपभोक्ता संरक्षण (राजस्थान) नियम 1987 के नियम 3 (4) बाबत दो प्रतियों में वचन–पत्र पेश करना होगा, जिसकी एक प्रति रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर, के माध्यम से राज्य सरकार को भेजी जायेगी।
15. उक्त नियुक्ति आदेश के कम में नियुक्त किए गए अध्यक्ष को जिला स्तरीय राजकीय चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड से स्वयं का फिटनेस प्रमाण–पत्र प्राप्त कर कार्यग्रहण से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
16. उक्त नियुक्ति आदेश के क्रम में नियुक्त किये गये अध्यक्ष को अधिसूचना जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में जिला मंच अध्यक्ष के रूप में अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर इस कार्यालय को और रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर, को तत्काल अवगत कराना होगा।

(क्रमांकः– एफ 89(6)उ.मा.वि./उ.सं./2006–v)
राज्यपाल की आज्ञा से,
सिद्धार्थ 20/2/2020
(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव (उपभोक्ता मामले)

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांक:– एफ 89(6)उ.मा.वि./उ.सं./2006–v जयपुर दिनांक 20/02/2020.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
7. महालेखापरीक्षक (महालेखाकार), राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
9. निजी सचिव, निदेशक, उपभोक्ता मामले, राजस्थान, जयपुर।
10. रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर।
11. **श्री यतीन्द्र प्रकाश शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, 27, BHAGWAN PATH, RAIL NAGAR, KINGS ROAD, JAIPUR, RAJASTHAN.**
12. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, पाली ।
13. जिला कलेक्टर/जिला रसद अधिकारी, पाली।
14. वित्तीय सलाहकार, खाद्य विभाग, जयपुर।
15. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, उपभोक्ता मामले, जयपुर।
16. सहायक निदेशक (जनसंपर्क), खाद्य विभाग (मुख्यालय), राजस्थान, जयपुर।
17. रक्षा पत्रिका।

निदेशक (उपभोक्ता मामले)

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

जयपुर, दिनांक 20/02/2020

अधिसूचना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 68) की धारा 10 (1क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा चयन समिति की अभिशंषा के आधार पर **श्री राजेन्द्र कुमार पारीक पुत्र स्व. श्री मुरलीधर पारीक** को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, **सीकर** का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त करती है :–

उपरोक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :–

1. जिला मंच के पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में यह नियुक्ति कार्यभार संभालने की तिथि से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने अथवा अन्य आदेश तक जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिये होगी।
2. राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवारत अधिकारियों को जिला मंच के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के दौरान सेवा में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने तक अध्यक्ष के पद पर वही वेतन भत्ते प्राप्त होंगे तथा उनकी सेवा के संबंध में वही निबंधन और शर्तें लागू होंगी, जो राज्य सरकार के नियंत्रण में किसी पद पर पदस्थापन की स्थिति में प्राप्त/लागू हो सकती है।
3. उपरोक्त प्रकार से अध्यक्ष के पद पर नियुक्त अधिकारी अध्यक्ष के पद पर अपने कार्य के दौरान आर.एच.जे.एस. सेवा से सेवानिवृत हो जाते हैं और अध्यक्ष के तौर पर इनका कार्यकाल अवशेष रहता है तो इस प्रकार अवशेष कार्यकाल में **बिना किसी वेतनमान एवं बिना वेतन वृद्धि के** राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन (अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के दिन प्राप्त वेतन में से पेंशन की राशि कम करते हुए) देय होगा। उपरोक्त प्रकार से देय **शुद्ध (net) वेतन की राशि पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमानुसार** मँहगाई भत्ता, देय होगा। **पुनर्नियुक्त कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता शुद्ध (NET) वेतन पर केस–टू–केस आधार पर वित्त विभाग के पूर्व अनुमोदन के उपरान्त देय होगा।**
4. आर.एच.जे.एस. से सेवानिवृति के पश्चात् अध्यक्ष के पद पर पुनः नियुक्त व्यक्ति को बिना किसी वेतनमान एवं बिना वेतन वृद्वि के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन (अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के दिन प्राप्त वेतन में से पेंशन की राशि कम करते हुए) देय होगा। उपरोक्त प्रकार से देय वेतन की राशि पर राज्य सरकार द्वारा **समय–समय** पर निर्धारित नियमानुसार मँहगाई भत्ता, देय होगा। **पुनर्नियुक्त कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता शुद्ध (NET) वेतन पर केस–टू–केस आधार पर वित्त विभाग के पूर्व अनुमोदन के उपरान्त देय होगा।**
5. पूर्णकालिक अध्यक्ष के पद पर नियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति राज्य सरकार के प्रत्येक कार्य दिवस में जिला मंच कार्यालय में अनिवार्य होगी। राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत अधिकारियों को अध्यक्ष जिला मंच के रूप में कार्य करने के दौरान राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत सेवानिवृत कार्मिकों को पुनः नियुक्ति पर देय अवकाश की भाँति, अवकाश देय होंगे। स्वीकृत अवकाश के अतिरिक्त किसी कार्य दिवस को अनुपस्थित रहने की स्थिति में ऐसे अनुपस्थित दिवस हेतु वेतन देय नहीं होगा।
6. जिला मंच के अध्यक्ष को आर.एच.जे.एस. में अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने के बाद मंच की बैठकों में आने व जाने का यात्रा या अन्य किसी व्यय का पुनर्भरण नहीं किया जावेगा तथापि विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 89(29)खा.वि./उ.सं./2004 दिनांक 16.09.2014 के अनुसरण में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान के अधीन जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के अध्यक्ष पद पर नियुक्त सेवानिवृत्त आर.एच.जे.एस. अधिकारी को पूल वाहन/किराये के वाहन की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होने की शर्त पर 2500/– रूपये (अक्षरे राशि रूपये दो हजार पांच सौ मात्र) प्रतिमाह वाहन भत्ता देय होगा।
7. जिला मंच के अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अध्यधीन सरकारी यात्रा पर ऐसे यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे जो राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारी को देय हैं।
8. वर्तमान में नियुक्त अध्यक्ष को वर्तमान पदस्थापन के अलावा अन्य जिला मंच में चयन समिति की अभिशंषा पर प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरित किया जा सकेगा या अपने कार्य के

Scanned with CamScanner

अतिरिक्त अन्य जिला मंच के कार्य को भी संपादित करने के लिए राज्य आयोग के परामर्श से अधिकृत किया जा सकेगा।

9. जिला मंच के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति को; अगर वह अभिभाषक है, कार्यभार संभालने की तिथि से पूर्व एवं नियुक्ति अवधि के दौरान तक की अवधि के लिये अपनी सनद (रजि. प्रमाण–पत्र) को अनिवार्य रूप से स्थगित/निलंबित कराना होगा और इस अवधि के दौरान वे अभिभाषक की हैसियत से कार्य (प्रैक्टिस) करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
10. जिला मंच के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति अवधि के दौरान कोई लाभ का पद अथवा अन्य नियुक्ति ग्रहण नहीं करेंगे। यदि पूर्व से ही किसी लाभ के पद अथवा सेवा में नियोजित हो; तो वे इस प्रकार के पद अथवा नियुक्ति पर जारी (Continue) नहीं रहेंगे।
11. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले निबंधन एवं शर्तों का जिला मंच में नियुक्त अध्यक्ष पालन करेंगे।
12. जिला मंच के अध्यक्ष को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये उपभोक्ता संरक्षण (राजस्थान) नियम, 1987 के प्रावधान के अनुसार पद से हटाया जा सकता है।
13. जिला मंच के अध्यक्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम/नियम के अन्तर्गत एवं अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर, उपभोक्ता संरक्षण तथा राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे।
14. जिला मंच के अध्यक्ष की सेवा की अन्य निबन्धन एवं शर्तें समय–समय पर संशोधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं उपभोक्ता संरक्षण (राजस्थान) नियम, 1987 के प्रावधान अनुसार विनियमित होगी।
15. जिला मंच के अध्यक्ष के रूप में कार्यग्रहण करने से पूर्व नियुक्त व्यक्ति द्वारा उपभोक्ता संरक्षण (राजस्थान) नियम 1987 के नियम 3 (4) बाबत दो प्रतियों में वचन–पत्र पेश करना होगा, जिसकी एक प्रति रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर, के माध्यम से राज्य सरकार को भेजी जायेगी।
16. उक्त नियुक्ति आदेश के कम में नियुक्त किए गए अध्यक्ष को जिला स्तरीय राजकीय चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड से स्वयं का फिटनेस प्रमाण–पत्र प्राप्त कर कार्यग्रहण से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
17. उक्त नियुक्ति आदेश के क्रम में नियुक्त किये गये अध्यक्ष को अधिसूचना जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में जिला मंच अध्यक्ष के रूप में अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर इस कार्यालय को और रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर, को तत्काल अवगत कराना होगा।

(क्रमांकः– एफ 89(6)उ.मा.वि./उ.सं./2006–v)
राज्यपाल की आज्ञा से,
सिद्धार्थ 20/2/2020
(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव (उपभोक्ता मामले)

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

कमांकः– एफ 89(6)उ.मा.वि./उ.सं./2006–v जयपुर दिनांक 20/02/2020.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
7. महालेखापरीक्षक (महालेखाकार), राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
9. निजी सचिव, निदेशक, उपभोक्ता मामले, राजस्थान, जयपुर।
10. रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर।
11. **श्री राजेन्द्र कुमार पारीक पुत्र स्व. श्री मुरलीधर पारीक, C-237, GOKUL PATH, VAISHALI NAGAR, JAIPUR, RAJASTHAN.**
12. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, सीकर ।
13. जिला कलेक्टर/जिला रसद अधिकारी, सीकर .।
14. वित्तीय सलाहकार, खाद्य विभाग, जयपुर।
15. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, उपभोक्ता मामले, जयपुर।
16. सहायक निदेशक (जनसंपर्क), खाद्य विभाग (मुख्यालय), राजस्थान, जयपुर।
17. रक्षा पत्रिका।

निदेशक (उपभोक्ता मामले)

Scanned with CamScanner